## न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा (अपील) नम्बर :– 51/2018 (Rcms no: 2018/00130)

उनवानी प्रकरण :–

1. श्री बावूलाल पुत्र विशम्भर जाति मीणा निवासी ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर।
2. साधू पुत्र विशम्भर जाति मीणा निवासी ग्राम चन्द्रावली तहसील सरमथुरा जिला धौलपुर ——————————अपीलान्टस्।

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये पटवारी पटवार मण्डल बीझोली तहसीलदार सरमथुरा जिला धौलपुर——————————रेस्पोडेण्ट।

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.8.2018 तहसीलदार सरमथुरा प्र.सं.09/2018 उनवानी राज0 सरकार बनाम बावूलाल बगैरा अंतर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधि0 1956

उपस्थिति :–

अपीलान्टस् की ओर से :– श्री शरीफ खान अभिभाषक।

रेस्पोडेण्ट की ओर से :– श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक।

निर्णय दिनांक :–27.11.2018

### निर्णय

अपीलान्टस् द्वारा यह अपील तहसीलदार सरमथुरा के निर्णय दिनांक 29.8.2018 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं, कि आराजी खसरा नम्बर 480 रकवा 0.42 हैक्टयर गैर मुमकिन नाला में से 0.08 हैक्टेयर रकवा पर कोठरी बनाकर वर्ष 2018 में अपीलान्टस् द्वारा

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

अतिकमण किया। पटवारी हल्का की रिर्पोट के आधार पर अपीलान्टस् को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी मानते हुए 32/– रूपये का जुर्माना आरोपित करते हुए 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने न तो अपीलान्टस् को कोई नोटिस या सम्मन जारी किया तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में में भी नहीं कहा कि वक्त सुनवाई अपीलान्टस् को सुनवाई का अवसर दिया । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रारम्भ से ही कूननी सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शित नहीं कराया गया है, जिससे यह सावित हो कि अपीलान्टस् अतिकमण करने के आदि रहे है। अपीलान्टस् का विवादित आराजी पर ना तो अतिकमण है और ना ही अतिकमण था । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी 12.9.2018 को हुई । जानकारी दिनांक से अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.8.2018 निरस्त किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी कर तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेण्ट की ओर से श्री गोपाल नारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। अधीनस्थ न्यायालय से पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली की गयी।

अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी निर्णय दिनांक 29.8.2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की ।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर अपीलान्ट को पश्चात्वती अतिकमी मानते हुए बिना सुने 32/– जुर्माना व 3 माह का सिविल कारावास की सजा का आदेश दिया है, जो कि गलत है। अपीलान्टस् को बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय नहीं दिया गया है, ना ही पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिया है। अपीलान्ट को जबाव व साक्ष्य एवं जिरह का अवसर प्रदान किया जाता तो अपीलान्ट अपने समर्थन में जबाव साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत करता। जैसे ही अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी हुई अपीलान्टस् ने विवादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया है एवं भविष्य में कब्जा नहीं करेगें इस बात का शपथ

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

पत्र दे दिया है। अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.8.2018 निरस्त किया जावे।

रैस्पोडेण्ट के विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया, कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, जो पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की परिभाषा में आता है, जिसकी पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा पटवारी की दैनिक डायरी से होती है। अपीलान्टस् को पूर्व में भी बेदखल किया जा चुका है। अपीलान्टस् के विद्वान अभिभाषक का यह कथन गलत है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जबाव साक्ष्य व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर नहीं दिया है तथा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये निर्णय पारित कर दिया है। इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु अपीलान्ट ने न तो कोई दस्तावेजी साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में पेश किये ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है। यदि अपीलान्टस् का विवादित आराजी पर कब्जा नही था तो उनके द्वारा जुर्माना राशि की अदायगी क्यों की गई तथा कब्जा छोडने सम्बन्धी शपथ पत्र क्यों प्रस्तुत किया । अतः अपील अपीलान्टस् खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 29.8.2018 यथावत रखा जावे ।

अपीलान्टस् द्वारा कब्जा छोडने एवं भविष्य में कब्जा नहीं करने सम्बन्धी शपथ पत्र का सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से कराया गया । तहसीलदार सरमथुरा ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 16.11.2018 के द्वारा अवगत कराया है कि विवादित आराजी से अपीलान्टस् द्वारा अतिकमण हटा लिया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन कर मनन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि अपीलान्टस् विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिकमी है। इस तथ्य की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान तथा पटवारी की दैनिक डायरी से होती है।
2. विद्वान अभिभाषक अपीलान्टस् का यह कथन सिद्ध नहीं होता कि बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय पारित किया गया है। इस बिन्दु के सम्बन्ध हमारा मत है कि अपीलान्टस् अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक को उपस्थित था तो उसको जबाव, साक्ष्य एवं जिरह करने हेतु समय की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि अपीलान्टस् ने जबाव, साक्ष्य एवं जिरह हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

(नन्दमल पगडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

3. अपीलान्टस् द्वारा इस आशय का शपत्र पत्र प्रस्तुत कर दिया है कि उसने कब्जा छोड दिया है तथा भविष्य में कभी कब्जा नहीं करेगा। इसका सत्यापन तहसीलदार सरमथुरा से करा लिया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तथा प्रस्तुत शपथ पत्र के अनुसार अपील अपीलान्टस् आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील अपीलान्टस् आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर निरस्त की जाती है कि अपीलान्टस् द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा पुनः मौके पर जाकर पुष्टि करेंगे कि वास्तव में अपीलान्टस् द्वारा कब्जा छोड दिया है वर्तमान में कब्जा नही है। यदि अपीलान्टस् शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के बाद भी पुनः अतिक्रमण कर कब्जा करता है तो उसे दी गई सिविल कारावास की सजा का आदेश यथावत बहाल रहेगा तथा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में तहसीलदार सरमथुरा अपीलान्टस् के विरूद्ध नियमानुसार अलग से कार्यवाही करेंगे। शेष निर्णय यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मूल शपथ पत्र एवं निर्णय की प्रति के साथ वापिस भिजवाई जावे। शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति पत्रावली में सुरक्षित रखी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( एम. एम. पहाडिया )
जिला कलक्टर, धौलपुर